SHANAG MIDDLE MICRO HYDEL ELECTRIC PROJECT PROPRIETER-MR PRAKASH CHAND, YPO- SHANAG THESIL- MANALI, DISTT- KULLU, H.P.

Ref No: SM/DFO-Kullu/23-24/09 Dated:08-06-2023

To,

The Divisional Forest Officer,

Kullu, H.P.

Subject: Diversion of 0.1669ha of forest land in favour of Prakash Chand VPO , Shanag, Tehsil-Manali, Distt- Kullu or the construction of Shanag Middle HEP(100kW), within the jurisdiction of Kullu Forest Division, Distt-Kullu, H.P. Online Proposal No: FP/HP/HYD/123608/2020.

Sir,

This is in reference to the letter from O/o Pr. CCF, H.P., Shimla-1 bearing ref. no: Ft.48-5368/2021(FCA) dated 17-05-2023, please find the point wise reply as under:

- 1. The Jamabandi and tatima have been uploaded in the portal.
- 2. The proceedings and FRA certificate issued has been uploaded in the appropriate column of Part-I.
- 3. The report on the list of trees standing in the dumping sites pertains to the Forest Department and may be obtained separately.

Yours sincerely,

Authroized Signatory

(Shang Middle SHEP)

31

Form-I (for linear projects) Government of Himachal Pradesh.

Office of the District Collector, Kullu, Distt. Kullu, H.P.

No: 1530 IDRA

Dated 4/11/2094

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 0-16-69 Hec. of forest land proposed to be diverted in favour of Sh Prakash Chand S/o Sh. Anokh Ram R/o Village Shanag PO Bahang Tehsil Manali Distt. Kullu (HP) for construction of (100KW) Shanag Middle Hydro Electric Project in Kullu district falls within jurisdiction of Mohal Majach in Tehsil Manali.

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire <u>0-16-69 Hec.</u> of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s). Sub Division Level Committee(s) and District Level Committee are enclosed as annexure A to annexure D.
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it;
- (c) The proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above

(Dr. Richa Verma, IAS) District Collector, Kullu. 32

Proceedings of the meeting of the District Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act (FRA), 2006.

A meeting of the District Level Committee of Kullu District, constituted under FRA, 2006 was held under the Chairmanship / Chairpersonship of Dr. Richa Verma (I.A.S), Deputy Commissioner, Kullu on <u>19-10-2020</u> at 11:00 AM at Kullu in which the application(s) claiming rights in <u>Muhal Majach</u> forest area under FRA, 2006, of the following applicant(s), duly processed and recommended by the Sub Division Level Committee(s) of Manali Sub Division(s), were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions the following decisions were taken on each application:-

Name of Applicant

Sh. Prakash Chand S/o Anokh Ram R/o Village Shanag Tehsil Manali Distt. Kullu (HP)

Place: Kullu

Decision (Admitted/Rejected)
Admitted

DC-cum Chairman/Chairperson, District Level Committee, Kullu District HP.

32A

OFFICE OF THE SUB DIVISIONAL OFFICER (CIVIL), MANALI, DISTRICT KULLU, (H.P.)

Proceeding of the meeting of the Sub Divisional Level Committee constituted under Schedule Tribe & Other Traditional Forest dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA), 2006.

the Cha	A me airmanship/Chairpersonship in which the application(s) rea(s) under FRA, 2006 dub	of Duan Alason	I Committee Manali co	enstituted under	FRA, 2006 was held	Lunder
Manali	in which the application	may Middle Jook	S.D.O (C),	Manali on dat	ted 22/11/20/2011	of Fatt
forest a	rea(s) under FR 4 2006 dule	Claim Muha	Mayaca	claiming r	ights in Sub Division	Macali
	rea(s) under FRA, 2006 duly recommendation to the Dis	harvester and recommen	icled by the concerned i	Muhai Sabha w	vere discussed to cons	ider the
		scrutiny of the document	s and detailed discuss	sions, the claim	of the following an	cheants
were for	und to be in order and recom	mended for admission to	the District Level Com	mittee		
Sr. No.	Name of the applicant S. Prakath chon Sh. Andon Ram Tandr Kom	Name of the Forest Da	ctail of the Forest Right	re	Khodva No -	
2.	1 dans real	MIRAL CZINOCKA		ι	1137 2 1135	if ares the
Claims o	of the following applicants w	rere not found in order and	d rejected:-		113427 11343	31131 12 1
Sr. No.	Name of the applicant	Name of the Forest De	etail of the Forest Righ		113 (127 113 113 113 113 113 113 113 113 113 11	(— 0 - 4
1.	χ	Jrd		*****		
2.	4-1-5	ormed by She Prate	andweet at			h _ \
	- AS INI	muco of An Horard	La Applications was	AMOLE (ECC) LOC	r cremany ngas a	

Forest area. Place: Manali

> S.D.O. (C) Cum Chairmanship/Chairpersonship SDLC, Manali, Distt. Kullu, H.P.

She Prakoun chend 40 She
As informed by Anakh Agun, application/s was/were received claiming rights in 19-19-19 ha Forest area in 1904 theyach.

It was suggested and unanimously approved by the members of the Committee that the community rights of the forest dwellers of each of the Muhals as expressed and recorded in Naksha Bartan and Wazib-ul-Arz prepared during revenue settlement and the Forest Settlement Report of the Forest Department should be recommended under section 6(3) of the Act for final approval by the District Level Committee. The enjoyment of community rights which are overlapping shall continue to be concurrent by respective Muhals and the maps maintained by the Forest Department showing existing legal boundaries of reserve forests, protected forests. National Parks and Sanctuaries, as the case may be, shall be considered to be community forest resource maps in respect of each Muhal. Hence, SDLC recommends such community rights for approval by the District Level Committee.

Place: Manali Date:

OHEN ENLIN HER.

S.D.O. (C) Cum Chairmanship/Chairpersonship SDLC, Manali Distr. Kullu, H.P. अनुसूचितः जनजाति और अन्य परमतास्य कर निकत्ता (का अधिकारी को मन्यार) हो राजात

me are appear classed

एसम्ब स्टब्स

frem 72-1-2-19

वन सम्हतीर नामार्थ प्रथम सम्बद्धाल) - पुर्वदेश - त्यहतील अन्डिक समाहल कुल्तु को देशक आज दिलाए २२, १९५५ - स्था . 🗳 💹 अले स्थान . 🥞 💯 ... में पी ृत्योगाते... अप्रिंग तीओं.... की आधारत में की गई दिसम है। हैं हैं मुहास के अनुसूदित जवलाति और असा पराधरागत धन निवासियों से अनुसूचित जन होते हो। सन्द परम्परागत वन विवासी (ान आंवकारी की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत ्रित ... जगर ्यन क्षेत्र सं सम्बन्धित वन अशिकारी के दावे हतु प्राप्त अध्येदनों पर चर्न हो तहे जिसमें निम्नलिखेत वन अधिकार हेतु दावे प्रस्तुत हुए 🗁

(प्रार्थ-ए, वन अशिकार अधिनेयम के अन्तर्गत व्यक्तियत दावे)

काई दाव प्राप्त मही हुए हैं।

एकार्य-ची, वन अधिकार अधिनियम के अन्तगर्स सागुदायिक दावे)

ाड दन भाषा नहीं दुस है।

(जार्न-र्ग), वन अधिकार अधिनियम के अन्तगर्त सामुदायिक वन पंसाधन से सन्दर्भित यार

कार्ड वार्व प्राप्त नहीं हुर है।

described from the control of \$1.50. theory ones only and firm , to 2 thereo.

, 910. 11 (2e)d

that is early majorny

121 22-11-1-19

क्राइट सम्बद्धार

प्रसात तस्त्रा ० ।

इंटर मुन्नार्थ.... में जयत्रात क्षेत्र में वन अधिकार हेतु प्रसाद ।

हुशह लना <u>बुरुस्ति.</u> की बंदक आज दिनांक अर्थ-११-२४॥ ५

रत रोवर्स २८ वर्ष स्थान <u>धुरुषा</u> में की ले जिल्ह

पत दावें का व्यास निम्न है :--

1) वन अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त व्यक्तिगत दावे:--

ठन संख्या कल प्राप्त दावे स्वीकत अस्वीकृत टियणी NIL

2) वन अविकार अधिनियम के अन्तर्गत सामुदायिक दाथे:-

कुल प्राप्त दावे े स्वीकृत अस्वीकृत हर संख्या .टिप्पणी W. NIL

3) दन अधिकार अधिवियम के अन्तागत सामुदायिक वन संसाधन से सम्बन्धित दावे

कुल प्राप्त रावं स्वीकृतं अस्वीकृत टिपाणी

धाम अभा की इस् बेठक में अनुस्हित फानजाति और अन्य परम्परागत दन निधा ने वर अध्यक्षण है। मान्यता अधिनिय 1,2006 के अन्तर्गत यन अधिकारों को दायों के निपटारे पर वर्धा की गई हथा सर्वमानीत से यह पारित किया गया कि उण्होचत अधिनियम को अंतर्गत धन अधिकारों क राक क नियवार अध्वरितात सारी प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है।

22-11-299

131012 318410

EULLU (H.P.)



OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER-CUM-DISTRICT MAGISTRATE, KULLU, HIMACHAL PRADESH Tel:01902-222727, Fax: 01902-225396, Mail-ID: dc-kul-hp/anic.in

No. .25.35...../DRA

Dated 28-11-22.

To

The M/s Shanag Middle HEP, Village Shanag P.O. Bahang, Tehsil Manali, District Kullu.

Subject:- Regarding supply of proceedings in respect of the FRA Certificate issued for Shanag Middle-100KW, Mr Prakash Chand.

Sir,

With reference to your letter dated No. SM/DRO/22-23/28 dated 24-11-2022 on the above-noted subject.

In this regard, it is submitted that the attested copy of the SDLC meeting, DLC meeting and Muhal Gram Sabha/Van Adhikar Samiti certificates in respect of the FRA certificate issued for Shanag Middle HEP-100 KW is enclosed herewith in annexure "A" for your kind information and further necessary action.

Encls:-21 pages

Yours faithfully,

(Deepti Mandhotra, H.P.A.S.)

District Revenue Officer

mon

दिनांक 19.10.2020 को अनुसूचित जन जाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम 2006 के डा० ऋचा वर्मा, उपायुक्त कुल्लू की अध्यक्षता में सम्पन्न जिला स्तरीय समिति की बैठक की कार्यवाही।

बैठक में निम्नालिखित अधिकारियों एवं गैर सरकारी सदस्यों ने भाग लिया -

- श्री एस० के० पराशर, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी कुल्लू, जिला कुल्लू।
- 2. वन मण्डल अधिकारी आनी खित लूहरी, जिला कुल्लू।
- वन मण्डल अधिकारी कुल्लू जिला कुल्लू।
- 4. श्रीमति प्रेम लता ठाकुर, सदस्य।

5 श्री लोकेन्द्र कुमार, संदस्य। सर्वप्रथम उपायुक्त महोदय ने सभी अधिकारियों एवं गैर सरकारी सदस्यों का बैठक नें भाग लेने का धन्यवाद किया। उसके बाद अनुसूचित जन जाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई तथा यह निर्णय लिया गया कि विभिन्न प्रयोजनो हेतु जो वन भूमि हस्तान्तरित की जानी प्रस्तावित है. को प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। बैठक में निम्नलिखित योजनाओं (जिनमें ग्राम सभा तथा उपमण्डल स्तरीय कमेटी का अन्नापित प्रमाण पत्र/सिफारिश सलंग्न है) के लिए प्रस्तावित वन भूमि के उपरोक्त अधिनियम हेतु सिमिति में विचार विमर्श किया गया:-

Sr. No.	Name of Company/ Department	Purpose	Area	Name of Gram Sabha /Nagar Panchayat	Name of Sul Divisional Level Committee
1	Executive Engineer, Kullu Division, HPPWD Kullu.	C/o Road from village Darka to Gramag via Gadiara	2.94 Hec.	Majhat & Choparsa	Kullu
2.	Commandant Home Guard 7 th Batalion, Kullu.	C/o Home Guard Company Office 7/5, Naggar	0-4-40 Hec.	G.P Naggar.	Kullu
3.	Deputy Superintendent of Police Anni Distt. Kullu.	Construction of building Police Chowki Nither.	1-02-10 Bigha	G.P. Dhera	Anni
4.	Executive Erigineer Jal Shakti Division Anni, Distt. Kullu.	Construction of L.I.S Satangidhar Khubu	0-03-60 Hac.	G.P. Bhalsi	Anni
5.	Executive Engineer Jal Shakti Division Anni. Distt. Kullu.	Construction of various water supply /scheme for chail sarahan.	0-16-00 Hac	G.P Nore	Anni
6.	Executive Engineer outer Seraj Division Anni. Distt. Kullu	Construction of link road from Thanda Pani to Sahage Dhar via Maltha.	2.899 Hac.	G.P Durah	Anni
7.	Deputy Supretiendent of Rollice Anni Distt.	Construction of Building Police Chowki Luhri.	0 12.14 Hac.	G.P. Dalash	Anni

Page 9 of 29

	Kullu				
8.	Executive Engineer outer Seraj Division HPPWD Nirmand Distt	Construction of road from Tapri to Gagani	2.05 Hac	G.P. Khani	Anni
9.	Executive Engineer Jal Shakti Division Anni. Distt. Kullu	Construction of L.W.S.S Karshaigad	0.084 Hac.	G.P. Lagaouti.	Anni
10.	Executive Engineer Jal Shakti Division Anni. Distt. Kullu	Construction of L.W.S.S Gugra Khad to Manjhadesh	0.52 Hac.	G.P. Shilli	Anni
11.	Executive Engineer Jal Shakti Division Anni. Distt. Kullu	Construction of L.W.S.S Dohad Khad to Balu	0.64 Hac.	G.P. Fanouti.	Anni
12.	Executive Engineer outer Seraj Division HPPWD Nirmand Distt. Kullu	Construction of Link road from Jhajer pul to Chowki	2.0798 Hac.	G.P. Bingul	Anni
13.		Construction of Fire Post Patlikhul.	0-10-17 Hac.	Muhal Bari	Manali
14.	I.C Power Pvt. Ltd Dhuangan-II 3.5 MW Shep.	I.C Power Pvt. Ltd Dhuangan-II	01-26-13 Hac.	Muhal Bhanara	Manali
15.		Construction of Parsha Shanag 100KW	00-18-52 Hac.	Muhal Shanag	Manali
16.		Construction of Upper solang 100 KW	00-16-14 Hac.	Muhal Palchan	Manali
17		Construction of Solang-II (100 KW)	00-15-75 Hac	Muhal Solang	Manali
18	Himalayas Power Project Palchan	Construction of (5MW) Small Hydel Project Beas Top-II.	2-55-40 Has	Muhal Palchan	Manali
19	Mo Sh. Rulda Ram Burua.	Construction of Burua Middle 100 KW	0-24-45 Hac.	Muhal Burua	Manali
20	M/s Beas Kund Hydro Power Project.	Construction of BeasKund-III Hydro Rower	02-89-47 Hac.	Muhal - Palchan	Manali

Page 10 of 29

21.	Sh. Chanderjeet S/oSh.Rulda Ram	Construction of Micro Hydel Project Beas Kothi , Palshan 100 KW	0-25-71 Hac	Muhal Palchan	Manali
22.	Sh. Tedhi Singh S/o Sh. Hamir Dass Village Burua	Construction of Burua Top (100KW)	0-20-52 Hac.	Muhal Burua.	Manali
23.	Sh. Khem Raj S/o Sh Hamir Dass Burua.	Construction of Burua Lower SHEP (100KW)	0-25-25 Hac.	Muhal Burua.	Manali
24.	Sh. Parkash Chand S/o Sh Anokh Ram Majach.	Construction of Shanag Middle (100KW)	0-16-69 Hac.	Muhal Majach	Manali.
25.	Distt Tourism Development Officer Kullu	Way side amenities near Rohtang Tunnel	00-14-00 Hec	Muhal Palchan	Manali
26.	M/s Bahang Hydro Project	Construction of Bahang Hydro Project.	Kulang 00-50-15 Burua 00-32-77 Bahang 02-25-59 Hac. (Total-03- 08-51 Hac)	Muhal Kulang. Burua, Bahang	Manali

उपरोक्त मदों को समिति ने सर्वसम्मति से अनुमोदित किया।

पृष्ठाकन संख्या <u>\CC\-64</u> / डी०आर०ए० प्रतिलिपि सेवा में:-

दिनाकः ४५-११-४७३०

1. सदस्य सचिव एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी कुल्लू, जिला कुल्लू।

2. वन मण्डल अधिकारी कुल्लू, जिला कुल्लू। 3. वन मण्डल अधिकारी आनी स्थित लूहरी, जिला कुल्लू।

4. श्री हितेश्वर सिंह, सदस्य।

5. श्रीमित प्रेम लता ठाकुर, सदस्य।

श्री लोकेन्द्र कुमार, संदस्य।

O/o Deputy Commissioner Kullu

उपायुक्त कुल्लू।

Page 11 of 29

Proceedings of the meeting of Sub-Divisional Level Committee constituted under Sc dule Tribe and Other Traditional Forest dwellers (Recognition of Rights) Act FRA, 2006 on 22/07/2020 at 11.00 am under the chairmanship of Sub-Divisional Officer (C) danali.

Following Govt, and non govt, members were present:

- Sub-Divisional Officer Manali (Chairperson)
- R.F.O Manali (govt. member)
- 3. R.I.O Naggar (Govt. member)
- R.F.O Patlikhul (Govt. member)
- Smt. Amar Dai (non govt. member)
- 6 Hira Lal (non govt. member)
- Surinder Singh (non govt. member)

First of all. Chairperson welcomes all the govt. and non-govt. members to the meeting. At the outset, the above members, present in the meeting were apprised of the various projects to discuss. Thereafter, the following projects which were recommended by the Forest Rights Committee of respective mohals were discussed:

1. Fire post Patlikhul:

The case is of khasra no 1703/1 measuring 0-10-17 ha of mohal Bari Phati Bari Kothi Baragarh Tehsil Manali distt. Kullu HP. The joint inspection of said khasra no was done on 11/12/2019 by Sub-Divisional Officer (C) Manali, D.F.O Kullu Forest Division, Kullu, Tehsildar Manali, Range Forest Officer, Forest Range Patlikhul. Commandent Home 7th B.N. Kullu HP, Patwari Baragran, Patwari Katrain, Pradhan Gram Panchayat Hallan-II, Pradhan Gram Panchayat Katrain. The NOC from Forest Rights Committe of Mohal Bari was given on 12/12/2019. There were no objections received from the SDLC members in the meeting. Thus, the case for fire post Patlikhul is forwarded and recommended to District Level committee for further necessary action.

2/ I.C. Power Pvt. Ltd. Dhuangan-H 3.5 MW SHEP

The case is of khasra no bila paimud (बिला पैम्द) measuring 01-26-13 ha of mohal Bhanara Phati & Kothi Jagatsukh Tehsil Manali distt, Kullu HP. The joint inspection of said khasra no was done on 31/10/2018 by Sub-Divisional Officer (C) Manali, D.F.O Kullu Forest Division, Kullu, Tehsildar Manali, Range Forest Officer, Forest Range Naggar, Sr. Project Officer HIMURJA Kullu HP, Patwari Jagartsukh, Assistant Engineer LP.H. Manali, PWD Manali and representatives of G R Autidya Energies Pvt. Ltd. and LC. Power Ltd. The NOC from Forest Rights Committe of Mohal Bhanara was given on 04/03/2019. There were no objections received from the SDLC members in the meeting. Thus, the case for I.C. Power Pvt. Ltd: Dhuangan-II 3.5 MW SHEP is forwarded and recommended to District Level committee for further Superintendent Grade Superintendent Kullu necessary action.

Page 12 of 29

Parsha Shanag 100 KW

The case is of khasra no 1159/1, 1159/2, 1159/3, 1159/4, 1159/5, 1159/6, 1160/1, 1171/1, 1238/1, 1238/3, 1238/4, 1238/5, 1238/6, and 1865/1 measuring 0-18-52 ha of mohal Shanag Phati Burua, Kothi Manali Tehsil Manali distt. Kullu HP. The joint inspection of said khasra no was done on 14/09/2018 by Sub/-Divisional Officer (C) Manali, D.F.O Kullu Forest Division, Kullu, Range Forest Officer, Forest Range Manali. The process of settlement of rights under FRA, 2006 has already been completed and the NOC from Forest Rights Committe of Mohal Shanag was given on 12/12/2019. There were no objections received from the SDLC members in the meeting. Thus, the case Parsha Shanag 100 KW is forwarded and recommended to District Level committee for further necessary action.

4. Upper Solang 100 KW

The case is of khasra no bila paimud (बिला पैम्द्र) measuring 0-16-14 ha of mohal Solang Phati Palchan, Kothi Manali Tehsil Manali distt. Kullu HP. The joint inspection of said khasra no was done on 14/09/2018 by Sub/-Divisional Officer (C) Manali, D.F.O Kullu Forest Division, Kullu, Range Forest Officer, Forest Range Manali. The process of settlement of rights under FRA, 2006 has already been completed and the NOC from Forest Rights Committe of Mohal palchan was given on 28/11/2019. There were no objections received from the SDLC members in the meeting. Thus, the case Upper Solang 100 KW is forwarded and recommended to District Level committee for further necessary action.

5. Solang II 100 KW

The case is of khasra no 306/1, 306/2, 306/3, 306/4, 306/5 and 465/1, 465/2, 165/3, 465/4, 465/5, 465/6, 465/7 kitta 12 measuring 0-15-75 ha of mohal Solang Phati Palchan, Kothi Manali Tehsil Manali distt. Kullu HP. The joint inspection of said khasra no was done on 14/09/2018 by Sub/-Divisional Officer (C) Manali, D.F.O Kullu Forest Division, Kullu, Range Forest Officer, Forest Range Manali. The process of settlement of rights under FRA, 2006 has already been completed and the NOC from Forest Pights Committee of Mohal palchan was given on 28/11/2019. There were no objections received from the SDLC members in the meeting. Thus, the case Upper Solang 100 KW is forwarded and recommended to District Level committee for further necessary action

6. Western Himalayas 5 MW

The case is of khasra no bila paintal (बिला पैमद) measuring 2-55-40 ha of mobal Solang Phati Palchan, Kothi Manali Tehsil Manali distt. Kullu HP. The joint inspection of said khasra no was done on 14/09/2018 by Sub/-Divisional Officer (C) Manali, D.F.O Kullu Forest Division, Kullu, Range Forest Officer, Forest Range Manali. The process of settlement of rights under FRA, 2006 has already been completed and the NOC from Forest Rights Committe of Mohal palchan was given on 28/11/2019. There were no objections received from the SDLC members in the

Superintendent Grade-I O/o Deputy Commissioner Page 13 of 29 meeting. Thus, the case Western Himalayas 5 MW is forwarded and recommended to District Level committee for further necessary action.

7. Burua Middle 100 KW

The case is of khasra no bila paimud (बिला पैम्द्र) measuring 0-24-45 ha of mohal Burua Phati Burua, Kothi Manali Tehsil Manali distt. Kullu HP. The joint inspection of said khasra no was done on 14/09/2018 by Sub/-Divisional Officer (C) Manali, D.F.O Kullu Forest Division, Kullu, Range Forest Officer, Forest Range Manali. The process of settlement of rights under FRA, 2006 has already been completed and the NOC from Forest Rights Committe of Mohal Burua was given on 22/11/2019. There were no objections received from the SDLC members in the meeting. Thus, the case Burua Middle 100 KW is forwarded and recommended to District Level committee for further necessary action.

8. Beas Kund III 3.5 MW

Fig. 1. The case is of khasra no bila paimud (बिला पैमूद) measuring 2-89-47 ha of mohal Solang Phati palchan, Kothi Manali Tehsil Manali distt. Kullu HP. The joint inspection of said khasra no was done on 14/09/2018 by Sub/-Divisional Officer (C) Manali, D.F.O Kullu Forest Division, Kullu, Range Forest Officer. Forest Range Manali. The process of settlement of rights under FRA, 2006 has already been completed and the NOC from Forest Rights Committe of Mohal Burua was given on 28/11/2019. There were no objections received from the SDLC members in the meeting. Thus, the case Beas Kund III 3.5 MW is forwarded and recommended to District Level committee for further necessary action.

9. Beas Kothi 100 KW

The case is of khasra no bila paimud (बिला पैम्द्र) measuring 0-25-71 ha of mohal Kothi Phati palchan, Kothi Manali Tehsil Manali distt. Kullu IIP. The joint inspection of said khasra no was done on 14/09/2018 by Sub/-Divisional Officer (C) Manali, D.F.O Kullu Forest Division, Kullu, Range Forest Officer, Forest Range Manali. The process of settlement of rights under FRA, 2006 has already been completed and the NOC from Forest Rights Committe of Mohal Burua was given on 28/11/2019. There were no objections received from the SDLC members in the meeting. Thus, the case Beas kothi 100 KW is forwarded and recommended to District Level committee for further necessary action.

10. Burua Top (100 KW)

The case is of khasra no bila paimud (बिला पैम्द्र) measuring 0-20-52 ha of mohal & Phati Burua, Kothi Manali Tehsil Manali distt. Kullu IIP. The joint inspection of said khasra no was done on 14/09/2018 by Sub/-Divisional Officer (C) Manali, D.F.O Kullu Forest Division, Kullu, Range Forest Officer, Forest Range Manali. The process of settlement of rights under FRA, 2006 has already been completed and the NOC from Forest Rights Committee of Mohal Burua was given on 22/11/2019. There

0/o Deputy Commissioner Kullu Page 14 of 29

22/08/2020

-6913/20

were no objections received from the SDLC members in the meeting. Thus, the case Burua Top 100 KW is forwarded and recommended to District Level committee for further necessary action.

11. Burua Lower SHEP 100 KW

The case is of khasra no bila paimud (बिला पैमूद) measuring 0-25-25 ha of mohal & Phati Burua, Kothi Manali Tehsil Manali distt. Kullu HP. The joint inspection of said khasra no was done on 14/09/2018 by Sub/-Divisional Officer (C) Manali, D.F.O Kullu Forest Division, Kullu, Range Forest Officer, Forest Range Manali. The process of settlement of rights under FRA, 2006 has already been completed and the NOC from Forest Rights Committe of Mohal Burua was given on 22/11/2019. There were no objections received from the SDLC members in the meeting. Thus, the case Burua Lower 100KW is forwarded and recommended to District Level committee for further necessary action.

12. Shanag Middle 100 KW

The case is of khasra no 1132/1, 1132/2, 1132/3, 1132/4, 1132/5, 1132/8 and 1136/1, 1136/2, 1136/3, 1136/4, 1136/5 kitta 11 measuring 0-16-69 ha of mohal Majach Phati palchan, Kothi Manali Tehsil Manali distt. Kullu HP. The joint inspection of said khasra no was done on 14/09/2018 by Sub/-Divisional Officer (C) Manali, D.F.O Kullu Forest Division, Kullu, Range Forest Officer, Forest Range Manali. The process of settlement of rights under FRA, 2006 has already been completed and the NOC from Forest Rights Committee of Mohal Majach was given on 22/11/2019. There were no objections received from the SDLC members in the meeting. Thus, the case Shanag Middle 100 KW is forwarded and recommended to District Level committee for further necessary action.

Sub-divisional Officer (C) Manali District Kullu HP

Endst. No. 4017-24 /SDK

Dated:)3-3-2010

Copy forwarded to:

The Deputy Commissioner Kullu, District Kullu HP

2X The Tehsildar Manali, District Kullu HP

3. Range Forest Officers, Forest Range Manali, Patlikhut and Naggar

All Non government Members

Sub-divişional Officer (C) Manali District Kullu HP

Superintendent Grade-l O/o Deputy Commissioner Kullu

DRA DRA DRA DRA

Annexure-III

OFFICE OF THE SUB DIVISIONAL OFFICER (CIVIL), MANALI, DISTRICT KULLU, (H.P.)

Proceeding of the meeting of the Sub Divisional Level Committee constituted under Schedule Tribe & Other Traditional Forest dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA), 2006.

A me	ceting of the Sub Divisional Committee Manali constituted u	inder FRA, 2006 was held under
the Chairmanship/Chairpersonship	of Raway Gharsaya S.D.O.(C), Manali on a Middle 100 000 trajach claimir	dated 22 1 2020at 11:00 14a19
Manali in which the application(s)	of Claim Muhal Majach claimir	ng rights in Sub Division Manali
forest area(s) under FRA, 2006 dul	y processed and recommended by the concerned Muhal Sabh	a were discussed to consider the
same for recommendation to the Di	strict Level Committee.	
		aim of the following applicants
were found to be in order and recon	nmended for admission to the District Level Committee.	ži)
Sr. No. Name of the applicant 1. Sh. Prakath char 2. Sh. Andan Say	Name of the Forest Detail of the Forest Rights Name of the Forest Detail of the Forest Rights Were not found in order and rejected: Name of the Forest Detail of the Forest Rights	Krava No - 1122/1, 1132/2, 1132/3, 1132/4 1132/5, 1132/8 and 1134/
Claims of the following applicants	were not found in order and rejected:	1136/27 113 1/27 1131/4, 1131
Sr. No. Name of the applicant	Name of the Forest Detail of the Forest Rights	Kita 11 aux - 0+16-
1 x	4/1	
2 As in!	formed by In the charge plication/s was/were peccive	d claiming rights in 8-14-694
Forest area.		
Place: Manali	//	
Date:	111	
		Chairmanship/Chairpersonship
	SDLC, Manali, [Distt. Kullu, H.P.
-, 2	1 0/2 01	_
Shi Prakash	chand 40 Sh. application/s was/were received claiming rights in 0	10 001
As informed by MONEY. Haw	λ application/s was/were received claiming rights inQ	Forest
area in 19 and 19 ayi	ion.	
It was suggest	ted and unanimously approved by the members of the Comm	Standard Standard
of the forest dwellers of each of th	e Munais as expressed and recorded in Naksha Barton and	Wi-t-t-t-
revenue settlement and the Porest St	ettlement Action of the Porcsi Denartment chould be some	
ACL for final approval by the Dist	rict Level Committee. The enjoyment of community state	
continue to be concurrent by tespe	CHYC Municia and the mana manninged by the Course to	
obundance of reserve forests, protect	CICO IUIGSIS. INGILUIIGI I GIAS BIIII SENCTUARIAC ne tha 1.	- 1-1-1-1-1-1
community forest resource maps in	respect of each Muhal. Hence, SDLC recommends such com	Amunity rights for approval by
the District Level Committee.	"//	

Place: Manali Date:

Superintendent Grade-1 O/o Deputy Commissioner Kullu

S.D.O. (C) Curn ChairmansHip/Chairpersonship SDLC, Manali, Distt. Kullu, H.P.

ालयं ने	ग्रंग्य पंचायत जग	ातगुष्य		
क्राम गणड न	गर. जिला कुल्लु (हिं0)	(O F		
HO:	दिनांक ः		£1241	,
	के वन क्षेत्र	में वन अधिका	र हेत परनाच मुहाल	
	की वैठ			
दोपहर				
TITLEY			n array fair	Tille cial or room
00 12		••••••	में का गई जिसम	দ্বাদে হাবা ক অং
00.00	27		में का गड जिसम	प्राप्त अवा क अन
00 12	27		मे का गड जिसम	प्राप्त अवा क अस
पकार में	27			प्राप्त अवा क अस
पकार में [*] न अधिकार	है। अधिनियम के अंतर्गत	प्राप्न व्यक्तिगत	न टावे हैं-	टिप्पणी
पकार में [*] न अधिकार	है। अधिनियम के अंतर्गत कुल प्राप्त दावे	प्राप्न व्यक्तिगत म्बीकृत	त दावे इन अग्बांकृत	टिप्पणी
पकार में न अधिकार मं0	है। अधिनियम के अंतर्गत कुल प्राप्त दावे अन्य	प्राप्त व्यक्तिगत म्बीकृत भून्य	त डावे ई- अग्बीकृत शुन्य	
पकार में [*] न अधिकार मं0	है। अधिनियम के अंतर्गत कुल प्राप्त दावे	प्राप्त व्यक्तिगत म्बीकृत भून्य	त डावे ई- अग्बीकृत शुन्य	टिप्पणी
पकार में न न अधिकार मं0 न अधिका	है। अधिनियम के अंतर्गत कुल प्राप्त दावे धून्य र २ िए के अंतर्गत	प्राप्त व्यक्तिगत म्बीकृत भून्य	त डावे ई- अग्बीकृत शुन्य	टिप्पणी
पकार में न अधिकार मं0 मं0	है। अधिनियम के अंतर्गत कुल प्राप्त दावे ्रान्य र २ ि ए के अंतर्गत कुल प्राप्त दावे	प्राप्त व्यक्तिगत म्बीकृत धून्य प्राप्त सामुदायि म्बीकृत	त डावे हैं- अस्बीकृत श्रस्य कि डावे हें- अस्बीकृत श्रस्य	टिप्पणी भून्य टिप्पणी भून्य
पकार में न अधिकार मं0 मं0	है। अधिनियम के अंतर्गत कुल प्राप्त दावे ्रान्य र २ ि ए के अंतर्गत कुल प्राप्त दावे	प्राप्त व्यक्तिगत म्बीकृत धून्य प्राप्त सामुदायि म्बीकृत	त डावे हैं- अस्बीकृत श्रस्य कि डावे हें- अस्बीकृत श्रस्य	टिप्पणी भून्य टिप्पणी भून्य
पकार में न अधिकार मं0 मं0	है। अधिनियम के अंतर्गत कुल प्राप्त दावे श्रन्य र श्रिक्त प्राप्त दावे कुल प्राप्त दावे कुल प्राप्त दावे	प्राप्त व्यक्तिगत म्बीकृत धून्य प्राप्त सामुदायि म्बीकृत	त डावे हैं- अस्बीकृत श्रस्य कि डावे हें- अस्बीकृत श्रस्य	टिप्पणी भून्य टिप्पणी भून्य
पकार में न अधिकार मं0 मं0	है। अधिनियम के अंतर्गत कुल प्राप्त दावे ्रान्य र २ ि ए के अंतर्गत कुल प्राप्त दावे	प्राप्त व्यक्तिगत म्बीकृत धून्य प्राप्त सामुदायि म्बीकृत	त डावे हैं- अस्बीकृत श्रस्य कि डावे हें- अस्बीकृत श्रस्य	टिप्पणी भून्य टिप्पणी भून्य

LURIN JENIN

प्रधान Hock वन कमेटी मनारा गांव भगारा, डाठ जारा, टा तह, मनाली, दिला डुट्यू (छे.प.) Superintendent Grade-I

Page 17 of 29

ले लिल्प निकि

सचिव प्रमेटी मारि वन कमेटी मारि गांव गनारा, डाए जान अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम, 2006

वन अधिकार समिति
गाम सभा कि विनाक हिन्द्रित

यन अधिकार समिति ग्राम सभा (मुहाल) को तहसील उपण्डल कुल्लू की बैठक आज दिनांक को बेठ के आज दिनांक को बेठ के स्थाम गा को अध्यक्षता में की गई जिसमें मुहाल के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासियों से अनुसूचित जनजाति औ अन्य परम्परागत वन निवासियों से अनुसूचित जनजाति औ अन्य परम्परागत वन निवासियों के अन्तर्गत जनजाति औ जन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जंगल/वन क्षेत्र से सम्बन्धित वन अधिकारी के दावे हेतु प्रांत आवेदनों पर चर्चा की रई जिसमें निम्नलिखित वन अधिकार हेतु दावे प्रस्तुत हुए :--

1. (फार्म-ए, वन अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत व्यक्तिगत दावे)

2204

2. (फार्म-बी, यन अधिकार अधिनियम के अन्तगर्त सामुदायिक दावे)

2/64

3. (फार्म-सी, वन अधिकार अधिनियम के अन्तगर्त सामुदायिक वन संसाधन से सम्बन्धित दाः

Superintendent Grade-1.

Hush

TI-19

अनुसूचित जनजाति और अन्य वरम्परायत ४न भिवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनयम् २००६

गाम सम्ब सुराजा जिस्सा ंन अधिकार समिति

अन्य परम्परागर धन निवासी (दन अविकारी की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अकेटा ...जगरु / यन क्षेत्र से सम्बन्धित वन अधिकारी के दाते हेंचु प्रांत आबेदनों पर चर्ता की गई

जिसमे निम्नतिनेता वन अधिकार हेतु दावे प्रस्तुत हुए :-

मुहात के अनुसूचित जनवाति और अन्य परमशापत धन निवासियों से अनुसूचित जनजाति और

उपण्यत कुल्लू को इंटक आज दिनांत २२-॥-१९ को मं श्री /श्रीपति अक्षत्रत्व नामा की अध्यक्षत मं तो गई जिसमें जिसमें

रान अधिकार समिति गाप थमा (बुहान)..... (बुन्नरेग..... सहसीन. निकारनी विकासित किंदिरी

を補 ユンーリー2019

(फार्म-ए. यन जीवकार अधिनेधम के अन्तर्गत व्यक्तिगत दाये)

यह राव आर्य भव हुए है।

(कार्म-यो, दः अधिकार अधितयम के अन्तर्गर्त सामुदाधिक दावे)

के देश मित्र भी देश

क्त दान नहीं दुरु है। महाल बुरुका

पुरान दुरमा

(कार्त्र-सी, वन प्रतिकार अधिनियम के अन्तरार्ध सामुदायिक वन संसाधन से सम्बर्धात दारे

Superintendent Ofo Deputy Commissioner Kullu

षत् अधिकार समिति एक मन्त्रती, विकास MAN STILL AND

> なかしこしいな 4 Common

वन अधिकार के न्यून कर्मन 2006 के अनुगत वन अधिकारों के दादा के निपटार पर बचा की गई तथा सदस्य के नारेंट्र किया गया कि जपशेवत अधिनियम के अंतर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटन न्यून करों प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। भारत दारों का क्षान कि कि हारेड - इं अन्तर्गत प्राप्त व्यक्तिगत दावे----- e अन्तर्गत सामुदाधिक दावे-はは ्र--- के अन्तर्गते सामुदायिक वन संसाधन से सम्बन्धित दावे हें जगत / वन क्षेत्र में बन अधिकार हेतु प्रस्तीय । <u>्</u> दंदक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी 1 ed tella (S. Oras स्यीकृत कीश्व को केक आज दिनक २४-॥-१०।५ म अस्वीकृत अन्दीकृत अरबीकृत में की गई जिसमें टिपाणी रिपणी टिमनी

01 101

क्म सक्य

अनुसूरित जनवारि 🚉 🚅 स्टब्स्सात ७३ निवासी (धन अधिकारी की भारतार) अधिकिया.

MANY PARTY CHAIN

Pare are walke

an foren Speech Rosso

व्यक्तिकार्थ प्रस्ताम

ह्मा ३४-11-2019

Superintender (ommiss)

यान रानः सं अनुसूदित जनजाति और अन्य परम्परागत यन निस्तसी को गई तथा सर्वसम्बद्धित अन्य मार्ग्यात यन निस्तसी को गई तथा सर्वसम्बद्धित अन्याति वे अधिकारों को तथों को निपटारे पर सर्वा क दखा क निपटार सर्वान्ता क्या भूरी को जा पुत्री है।	युल प्रानः - न्दीकृतः अस्वीकृतः	त्र अधिकार अधिका के अन्यार्थ सामुदायिक वन संसाधन से सम्बन्धित दावे	कुत प्रकार स्थित अस्वीकृत	वन अधिकार अोल्डिल हे अन्तर्गत सामुदाधिक दावे.—	कुल प्राप्त द्या न्योक्त अस्त्रीकृत	राज दावा का व्यास निम्न हैं - 1) बन अधिका र अधिनेटन है अन्तर्गत प्राप्त व्यक्तिगत दावे:-	को बठक आज दिनांक २३-1	्राच्यात ∕तन क्षेत्र भें तम अधिकार हेतु प्रस्ताव	भुक्ताव संख्या o l	ਰਮਾਤ ਪੰ ਪੀਸ਼ਤੇ ਅਨੁਹ-ਸਮ	कार्यात्वर ग्राम् अस्ति। विकास प्रकार का जिला उत्तर्भ हि०४०
य परम्परा वों के नि के आंतर्गत	टिप्पणी	से सम्बन्ध	टिप्पणी		टिप्पणी		न⊬-22019	स्तायः ।	0	1-200	oko\$j.

Superintendent Grade-I O/o Deputy Commissioner Kullu

ا م م) (জাৰ্ম- ল' ল' ভাটোন মা	2 (47 ** **) ** 3 in ** ブ	2	जिसमें निमालेकित के अध्याद शेंद्र दोषे प्रस्तुत हुए अ १ १९५५ १ जा अध्याद अधिनेवम के अन्तर्गत ब	प्रणाहत के हता है। उस कि सम्भा के प्रणाहत में की गई जिसमें कि कि स्थान के अपन के के कि स्थान कि स्थान के कि स् में भी भीन के कि कि कि अपन कि अपन के अपना कि निवासिकों से अनुसूर्वित जनवारि और मुद्दाल के अनुसूर्य जन्मे की अपना कि अधिनयम, 2006 के अन्तर्गत कि स्थान कि प्रणाहत है के अन्तर्गत के अधिकारी की मन्यान) अधिनयम, 2006 के अन्तर्गत कि मार्थ	THE CONTRACTOR	अनुसूरित जनवारी ३°०३ वस्यसमा दन निवासी (वन आवकास का मान्यता) आयानबन् २००४
t dan	र डॉफ्स अधिनियम के अन्तेगर्स लामुदायिक वन संलाबन से सन्धन्यत	्राधिनेवम के अन्तगत सामुदाविक दावे) राज्य		के निम्मलेखित कर अधिकार केंद्र दावे प्रस्तुत हुए :- । १९५५ १ वर्ष अधिकाम के अन्तर्गत व्यक्तिगत दावे)	पण्डल कुन्तु हो उत्तर को दिनाक दे हिना है हैं ना हिना है हैं प्रति को स्थान कि एक हैं हैं ना है कि एक कि स्थान कि एक हैं कि एक हैं कि एक कि उन्हों हैं के अनुसूर्य के अनुसूर्य कि अधिकारी की मन्यामी अधिनेयम, 2006 के अनुसूर्य को की पढ़े अधिकारी की मन्यामी अधिनेयम, 2006 के अनुसूर्य को की पढ़े अधिकारी की मन्यामी अधिनेयम, 2006 के अनुसूर्य कर वर्षों की पढ़े अधिकारी के पार्व हैंचु प्रति आवेदनों पर वर्षों की पढ़े का अधिकारी के पार्व हैंचु प्रति आवेदनों पर वर्षों की पढ़े का अधिकारी के पार्व हैंचु प्रति आवेदनों पर वर्षों की पढ़े	प्राचित्रक	हरन निवासी (वन आधकारा का फा

Superintendent Grade-I O/o Deputy Commissioner Kullu अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (गन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम, 2008

> यन अधिकार समिति गान सगा उप गुराल मङ्गाप

परसाव संख्या ७)

दिनांक 23/11/249

वन अधिकार समिति ग्राम समा (मुहाल) मा मुहाल महत्त्व सहसील जिला छी. उपण्डल कुल्लू की बैठक आज दिनांक 23 11 2019 की 11 वर्ज स्थान है। उर्राला महाप्या में श्री /श्रीमित मुस्मि ल्याल की अध्यक्षत हैं की गई जिसमें 39 हिंग गर्का मुहाल के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासियों से अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत <u>जिक्काप</u> जंगल / वन क्षेत्र से सम्बन्धित वन अधिकारी के दारे हेतु प्राप्त आयेदनों पर चर्चा की गई. जिसमें निज्नलिखित पन अधिकार हेतु दांवे प्रश्तुत हुए -

(कार्य-ए, दल अधिकार अधिनिधन के अन्तर्गत व्यक्तिगत दाये)

黑 時 明明 明 50-1

(कार्म-सी, वन अधिकार अधिनियम के अन्तगत सामुदाधिक दावे)

भाइ तर्दे जान्त गहीं दुरे।

(कार्य-सी, यन अधिकार अधिनिक्षम के अन्तामत लामुदासिक वन संसाधन से सन्यन्धित दावे

वर्ष भव जान नहीं हुए

Page 23 of 29

N. P. C. C.			100 march 1975 1975	•	
कित जनजा	ति और अन्य परम्परा	अतं वन निवास	ी (छन अधिकारी क्री	मान्यता अविक्रिया	
* .			(6.4)	ण नराम् आ खान्यम्,	
		^		8	
3	हार्या ल य ग्राम पंचाया	य (तेसमा	n al.,	A America	
Š.	हेकास खण्य 🕮	का	णिला क्षाल	f eoro	
	<u>المحقور</u>	लेपि परताव			
	3,400)	dia extita			
~ "-51-	Hariones	• .	्रेन्संक -	5-11-2019	
	and a second		1	7 (14) (0.00-0.0)	
	1-1		क्सांत संस्ट	o i	
		P. Series		22 (3)	
2 8					
		लाहं/बन €ा व	क्न अ विकार हेतु प्र	न्ताव ।	
		4		-11-2019 =	
-				<u>,-1! -201 न</u> को	
किस्टर ,	11	_बजं स्थानं	সঞ্চাল	में की गई जिसमें	
·	वीरा निम्न है –				-
	- Ann			es les	
12 12 22			4.4		
= 7	अविकार आयोगसन प	ञ् अन्तगत प्राप्त	व्यक्तिगत दावे:-		
			7. 4.127	टिप्पणी	
	अञ्चलकार आसानयम् व कुल प्रान्त दावे	स्वीकृत	व्यक्तिगत दावे:- , अस्वीकृत	टिप्पणी	
-	कुल प्राट दावे	स्वीकृत	, अस्वीकृत	टिप्पणी	
-		स्वीकृत	, अस्वीकृत	टिप्पणी	
-	कुल प्रान्त दावे 	स्वीकृत ि ि अन्तर्गतः सामुद	अस्वीक्ल धिक दावै:—		
2) वन	कुल प्राट दावे	स्वीकृत ि ि अन्तर्गत सामुद स्वीकृत	अस्वीक्ल ।थिक दादे:— अस्वीकृत	टिप्पणी	
2) 3H	कुल प्रान्त दावे 	स्वीकृत भो ८ अन्तर्गत सामुद स्वीकृत	, अस्वीकृत श्रीक दादे:— अस्वीकृत	टिप्पणी	
2) देन 	कुल प्रान्त दावे , अधिकार अधिनियम वे कुल प्राप्त दावे अधिकार अधिनियम प्रो	स्वीकृत ि ि अन्तर्गत सामुद स्वीकृत स्वीकृत अन्तर्गत सामुद	, अस्वीकृत श्रीक दादे:— अस्वीकृत	टिप्पणी	
	कुल प्रान्त दावे 	स्वीकृत ि ि अन्तर्गत सामुद स्वीकृत स्वीकृत अन्तर्गत सामुद	अस्वीकृत भिक दादे:— अस्वीकृत -	टिप्पणी	
्र _े २, दम 	कुल प्रान्त दावे अधिकार अधिनियम वे कुल प्राप्त दावे अधिकार अधिनियम वे वृत्न प्राप्त दावे	स्वीकृत ि ि अन्तर्गतः सामुद स्वीकृत अन्तर्गतं सामुद अन्तर्गतं सामुद	अस्वीक्त धिक दावे:- े अस्वीकृत विक वन संसाधन से अस्वीकृत	टिपाणी सम्माभा त दावे टिपाणी	
	कुल प्रान्त दावे अधिकार अधिनियम वे वुल प्राप्त दावे अधिकार अधिनियम वे वुल प्राप्त दावे	स्वीकृत ि () अन्तर्गत सामुद स्वीकृत अन्तर्गत सामुद स्वीकृत अन्तर्गत सामुद	अस्वीकृत धिक दावे:- अस्वीकृत धिक दन संसाधन सं अस्वीकृत	टिप्पणी सम्बन्धित दावे टिप्पणी	
्र इस 2, इस - न्ड्या 3) इस	कुल प्रान्त दावे अधिकार अधिनियम वे वुल प्राप्त दावे अधिकार अधिनियम वे अधिकार अधिनियम वे वुल प्राप्त दावे याम समा की इस बैठ	स्वीकृत ि ८ अन्तर्गत सामुद स्वीकृत अन्तर्गत सामुद अन्तर्गत सामुद स्वीकृत स्वीकृत स्वीकृत	अस्वीकृत धिक दावे: अस्वीकृत धिक दन संसाधन सं अस्वीकृत	टिपाणी सम्मान्धत दावे टिपाणी	
े वन दे वन उ) दन ने स्ट्रा	कुल प्रान्त दावे अधिकार अधिनियम वे वहुल प्राप्त दावे अधिकार अधिनियम वे वहुल प्राप्त दावे याम समा की इस देव प्राम्यता अधिनियम 200	स्वीकृत ि () अन्तर्गत सामुद स्वीकृत अन्तर्गत सामुद अन्तर्गत सामुद स्वीकृत स्वीकृत स्वीकृत स्वीकृत क में अनुसृक्षित क के अन्तर्गत त	अस्वीकृत धिक दावे:— अस्वीकृत अस्वीकृत अस्वीकृत जनवाति और अन्य मा अधिकारों के कार	टिपाणी सम्मान्धत दावे टिपाणी	
े वन दे वन उ) दन ने स्ट्रा	कुल प्रान्त दावे अधिकार अधिनियम वे वहुल प्राप्त दावे अधिकार अधिनियम वे वहुल प्राप्त दावे याम समा की इस देव प्राम्यता अधिनियम 200	स्वीकृत ि () अन्तर्गत सामुद स्वीकृत अन्तर्गत सामुद अन्तर्गत सामुद स्वीकृत स्वीकृत स्वीकृत स्वीकृत क में अनुसृक्षित क के अन्तर्गत त	अस्वीकृत धिक दावे:— अस्वीकृत अस्वीकृत अस्वीकृत जनवाति और अन्य मा अधिकारों के कार	टिपाणी सम्मान्धत दावे टिपाणी	
े जन े उन्हें के उन्हों के ज्या सर्व को क निपट	कुल प्रान्त दावे अधिकार अधिनियम वे बुल प्राप्त दावे अधिकार अधिनियम वे वहुल प्राप्त दावे याम समा की इस बैठ मान्यता अधिनियम 200 समाति से यह पारित वि	स्वीकृत ि () अन्तर्गत सामुद स्वीकृत अन्तर्गत सामुद अन्तर्गत सामुद स्वीकृत स्वीकृत स्वीकृत स्वीकृत क में अनुसृक्षित क के अन्तर्गत त	अस्वीकृत धिक दावे:— अस्वीकृत अस्वीकृत अस्वीकृत जनवाति और अन्य मा अधिकारों के कार	टिप्पणी सम्बन्धित दावे टिप्पणी	
े वन १ वन ३) दन न स्ट्रमा विकास की उत्तथा सर्व ाम क निपट	कुल प्रान्त दावे अधिकार अधिनियम वे वेद्यल प्राप्त दावे अधिकार अधिनियम के वेद्यल प्राप्त दावे वेद्यल प्राप्त दावे याम समा की इस देव पाम समा की इस देव	स्वीकृत ि () अन्तर्गत सामुद स्वीकृत अन्तर्गत सामुद अन्तर्गत सामुद स्वीकृत स्वीकृत स्वीकृत स्वीकृत क में अनुसृक्षित क के अन्तर्गत त	अस्वीकृत धिक दावे:— अस्वीकृत अस्वीकृत अस्वीकृत जनवाति और अन्य मा अधिकारों के कार	टिपाणी सम्मान्धत दावे टिपाणी	
े उन े उन के उन्हें के उन्हों की दे जथा सर्व ाम के निपट	कुल प्रान्त दावे अधिकार अधिनियम वे वेद्यल प्राप्त दावे अधिकार अधिनियम के वेद्यल प्राप्त दावे वेद्यल प्राप्त दावे याम समा की इस देव पाम समा की इस देव	स्वीकृत ि () अन्तर्गत सामुद स्वीकृत अन्तर्गत सामुद अन्तर्गत सामुद स्वीकृत स्वीकृत स्वीकृत स्वीकृत क में अनुसृक्षित क के अन्तर्गत त	अस्वीकृत विक दावे:- अस्वीकृत अस्वीकृत अस्वीकृत जनजाति और अन्य जनजाति और अन्य जनजाति अभि अन्य जनजाति अभि अन्य	टिप्पणी परम्परागत यन नियासी के निपटारे पर मध्ये अंतर्गत यन अधिकाशे	
े वन १ वन ३) दन न स्ट्रा व स्ट्राय की उ तथा सर्व े के निपट	कुल प्रान्त दावे अधिकार अधिनियम वे वेद्यल प्राप्त दावे अधिकार अधिनियम के वेद्यल प्राप्त दावे वेद्यल प्राप्त दावे याम समा की इस देव पाम समा की इस देव	स्वीकृत ि () अन्तर्गत सामुद स्वीकृत अन्तर्गत सामुद अन्तर्गत सामुद स्वीकृत स्वीकृत स्वीकृत स्वीकृत क में अनुसृक्षित क के अन्तर्गत त	अस्वीकृत विक दावे:- अस्वीकृत अस्वीकृत अस्वीकृत जनजाति और अन्य जनजाति और अन्य जनजाति अभि अन्य जनजाति अभि अन्य	टिप्पणी परम्परागत यन नियासी के निपटारे पर मध्ये अंतर्गत यन अधिकाशे	
े दन े दन के दन के तथा सर्व के तथा सर्व	कुल प्रान्त दावे अधिकार अधिनियम वे वेवुल प्राप्त दावे अधिकार अधिनियम के वेवुल प्राप्त दावे वेवुल प्राप्त दावे याम समा की इस देव पाम समा की इस देव	स्वीकृत ि () अन्तर्गत सामुद स्वीकृत अन्तर्गत सामुद अन्तर्गत सामुद स्वीकृत स्वीकृत स्वीकृत स्वीकृत क में अनुसृक्षित क के अन्तर्गत त	अस्वीकृत विक दावे:- अस्वीकृत अस्वीकृत अस्वीकृत जनजाति और अन्य जनजाति और अन्य जनजाति अभि अन्य जनजाति अभि अन्य	टिप्पणी परम्परागत यन नियासी के निपटारे पर मध्ये अंतर्गत यन अधिकाशे	(
े वन १ वन ३) दन न स्ट्रम विकास की उत्तथा सर्व ाम क निपट	कुल प्रान्त दावे अधिकार अधिनियम वे वेवुल प्राप्त दावे अधिकार अधिनियम के वेवुल प्राप्त दावे वेवुल प्राप्त दावे याम समा की इस देव पाम समा की इस देव	स्वीकृत ि () अन्तर्गत सामुद स्वीकृत अन्तर्गत सामुद अन्तर्गत सामुद स्वीकृत स्वीकृत स्वीकृत स्वीकृत क में अनुसृक्षित क के अन्तर्गत त	अस्वीकृत विक दावे:- अस्वीकृत अस्वीकृत अस्वीकृत जनजाति और अन्य जनजाति और अन्य जनजाति अभि अन्य जनजाति अभि अन्य	टिप्पणी परम्परागत यन निवासी के निपटारे पर मधा अंतर्गत यन अधिकाशे	

Page 24 of 29

G. P Buena

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (यन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम, 2008

> वन अधिकार समिति गाम सभा उप मुहाल मुकारा

प्रस्ताव संख्या 💍

दिनांक 2-3/11/2019

वन अधिकार समिति ग्राम समा (मुहाल) अम् मुहाल मुहाल नहसील नाना ब्ली उपण्डल कुल्लू की बैठक आज दिनांत के 11 2019. को 11 वर्ज स्थान उपग्रहाला गड़ाप... में श्री /श्रीमति मुश्री त्याल की अध्यक्षत में की गई जिसमें 34 गुराल गड़ात्य मुहाल के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासियों से अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (दन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत <u>जिल्ला</u>या . जंगल / रान क्षेत्र से सम्बन्धित वन अधिकारी के दारे हेतु प्रात आवेदनों पर चर्चा **की गई**. जिसमें निम्नलिखित वन अधिकार हेतु वार्षे प्रस्तुत हुए 🗂

(फार्म-ए एन अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत व्यक्तिगत दाये)

र्स देन प्रमान के उस

फार्न-ती, वन अधिकार अधिनियम के अन्तगर्त सागुदायिक दावे)

भाई पाँच प्राप्त गरी हरे।

(फार्म-सं) यन अधिकार अधिनियम को अन्तमती सामुदायिक वन संसाधन से सम्बन्धित दावे

ने दे जिल भी दे ।

Courses free ?

वित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारी की पान्यता) अविनियम, कार्यालय ग्राम पंचायत (प्रेत) विकास खण्ड हो ग्रेंट् का जिला के वहा हिराप ्रप्रतिलिपि प्रस्ताव ् न रो श्रोमति भूगोरी लालि विनांक 23-11-2019 -प्रवृति । 33 | 22 | ... प्रस्ताव संख्या 0 ात <u>उप भूहाल मुक्ताया</u> के जंगल/यन क्षेत्र में वन अधिकार हेतु प्रस्ताव । -हाल सभा <u>मिक्राप्य</u> की बैठक आज दिनांक 23-11-2019 पर्तः / दोपहर <u>।। वजे स्थानं भ क्रान्यं</u> में की गई जिसमें ाप दादों का व्योश निम्न है :-1) वन अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त व्यक्तिगत दावै:--टिप्पणी अस्वीकृत कुल प्राप्त दावे स्वीकृत . ः सख्या NIL 2) दन अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत सामुदायिक दावे:— स्वीकृतं अस्वीकृत टिप्पणी कुल प्राप्त दावे न संख्या WILL 6 वन अधिकार अधिनियम के अन्तगत सामुदायिक वन संसाधन से सम्बन्धित हावे कुल प्राप्त दाये अस्वीकृत स्यीकृत दम संख्या टिप्पणी ग्राम लमा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निकसी अधिकार की मान्यता अधिनियम,2006 के अन्तर्गत यन अधिकारों के दावों के निपटारे पर क्या गई तथा सर्वसम्मति से यह पारित किया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अंतर्गत वन अधिकारों ं दावों के निपटारे सम्बन्धित सारी प्रकिया पूरी की जा चुकी है। गत अप्रमाल भक्तान 750 96-11-200g 34 भूगता गर्भाच

17

इतिनिधि प्रस्ताग

sum sil/ shull Dill dec . At the

相が 13-11-20代

यणपूरि 156/300

प्रस्तात संख्या 🔿 🕉

चंगल/यन क्षेत्र में वन अधिकार हेतु प्रस्ताव ।

पात / दोषहर____11__ मुहाल पाना च्या है भारत दावों का धरोश निम्न है यये स्थान 2/10/2 ्सी बैठक आज दिनांक 13-11-2019

भं को गई जिसमें

वन अधिकार अधिनेयम के अन्तर्गत प्राप्त व्यक्तिगत दावे:-

युल प्राप्त दाव स्वीकृत अस्वीकृत

टिप्पणी

क्म संख्या

2) वन अधिकार अधिनिदय के अन्तर्गत सामुदायिक दावे:-

कम सख्या

बुल प्रथ तहे

स्वीकृत अस्वीकृत रिमनी

कम सख्या वन अधिकार अधिनेयन के अन्तगर्त सामुवायिक दन संसाधन से सम्बन्धित दावे

कुल प्राप्त दाव स्योक्त अस्वीकृत :हेप्पकी

यन अधिकारों की मान्यता आधीनयन,2006 के अन्तरीत वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर धर्चा की गई तथा सर्वसम्मति से यह चारित किया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अंतर्गत यन अधिकारों के दावों के निपटारे सम्बन्धित सारी प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। प्राम सभा जी इत बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत यन निवासी

ELES.

y Commissioner Kullu

Superintendent Grade-I
O/o Deputy Commissioner
Kullu

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम, 2006

> वन अधिकार समिति गाम सना <u>अद्वाद्या द्विरुङ्ग</u>

दिनांक 22-11-2019

वन अधिकार समिति ग्राम समा (नुहाल) अर्था , तहसील मनाली उपण्डल कुल्लू की बैठक आज दिनांक 22-गा-19 को अध्यक्षत में की गई जिसमें कि की अध्यक्षत में की गई जिसमें कि जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासियों से अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनिवासियों जनजाति की गई. जंगल / वन क्षेत्र से सम्बन्धित वन अधिकारी के दावे हेतु प्रांत आवेदनों पर चर्चा की गई. जिसमें निम्निलिखित वन अधिकार हेतु दावे प्रस्तुत हुए —

(फार्म-ए. यन अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत व्यक्तिगत दाये)

कार वर्ष साल भी हैं है।

(फार्म-सी, वन अधिकार अधिनियम के अन्तगत सामुदायिक दावें)

कार प्राप्त नहीं दुरु है।

(फार्म-सी, वन अधिकार अधिनियम के अन्तपर्त सामुदायिक वन संसाधन से सम्प्रन्धित गावे

काई यांवे सारा नहीं हुरा है।

प्रावम अध्यहा पुराव सुरुजा Superintendent Grade-1
O/o Deputy Commissioner
Kullu